26/9/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.। प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल किया गया। नंबर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/417

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.09.27 17:35:15 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

दयाराम बनाम मन्जू आदि

किस्म मुकदमा:—212 आर0टी0ए प्रकरण संख्याः—178/2024 (GCMS No. 2024/417)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.09.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थी संख्या 1—2 के नाम से रोही टीलांवाली के खसरा संख्या 59/2 के 5.566 हैक्टर रकबा का राजस्व नक्शा में करीब 6.00 बीघा रकबा का खसरा संख्या 59/3 का आराजीराज रकबा तरमीम करवा रखा है। अप्रार्थीगण ने नाजायज रूप से तरमीम करवा रखी है। जैरवाद रकबा की भौतिक स्थिति ली जानी आवश्यक है। अतः जैरवाद रकबा का पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का को साथ लेकर मौका निरीक्षण कर मौका पर पैमाईश करवाकर भौतिक स्थिति का न्यायालय में भिजवाई जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने विरोध करते हुए बताया कि प्रार्थी का उक्त रकबा पर कोई स्वामित्व नही है तथा प्रार्थी ने रकबा राज भूमि तथा अप्रार्थी तथा मेरे पति के नाम अंकित रकबा पर स्थगन आदेश प्राप्त किया हैं जो कि अनुचित है। यह प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। उक्त प्रकरण स्थगन बाबत् विचाराधीन है। जिसमें मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट मंगवाने की आवश्यकता होना प्रतीत नही होती है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी निरस्त किया जाता है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के नाम से रोही टीलावाली के खसरा संख्या 60/1 में 0.177 हैक्टर, 60/2 में 0.051, 60/3 में 1.392 हैक्टर, 60/4 में 0.114 हैक्टर, 262/60 में 0.633 हैक्टर कुल 2.367 हैक्टर बारानी खातेदारी भूमि दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। उक्त वर्णित रकबा के चिपता रोही टीलावांली के खसरा संख्या 59/3 में 2.164 हैक्टर बारानी आराजीराज रकबा दर्ज रिकार्ड है। उक्त रकबा पर प्रार्थी का 20—25 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। उक्त रकबा मौका पर प्रार्थी के खसरा संख्या 60/1, 60/2 की सीध में पश्चिम की तरफ खसरा संख्या 59/3 का कुल 2.164 हेकटर आराजीराज रकबा, जो एक ही जगह स्थित है। परन्तु राजस्व नक्शा में खसरा संख्या 59/3 के रकबा के अनेकों टुकड़े कर दर्शा रखा है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम संयुक्त खाता में रोही टीलावांली की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 72 में खसरा संख्या 59/2 में 5.566 हैक्टर बारानी खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 1—2 के खसरा संख्या 59/2 के राजस्व नक्शा के दक्षिणी पासा में खसरा संख्या 59/3 के करीब 1.518 हैक्टर रकबा को शामिल कर रखा है। इसलिये यह रकबा हटाये जाने योग्य है। उक्त जैरवाद रकबा में जिप्सम है। अप्रार्थीगण इसी रकबा की लीज बनवाना चाहते है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1—2 के खातेदारी रकबा की तरमीम राजस्व नक्शा में सही नही है। इस रकबा पर प्रार्थी का काफी वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या—1 ने जवाब को दोहराते हुए बताया कि रोही टिलावांली के खसरा संख्या 59/3 की 2.164 हैक्टर बारानी आराजीराज भूमि है। रकबा राज भूमि पर विधि विरूद्ध स्थगन प्राप्त किया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम रोही टीलावांली के खसरा संख्या 59/2 में 5.566 हैक्टर ब0हि0बराबर बारानी भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का जैरवाद रकबा पर किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नही बनता है। प्रार्थी ने ऐसा कोई [illegible] नही किया है, जिससे यह साबित हो कि उक्त रकबा पर प्रार्थी का [illegible] स्वामित्व है। प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जावे। Signature Not Verified Digitally signed by Sandeep Kumar Date: 2024.09.27 17:35:15 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

प्रकरण संख्याः– 178/2024
अन्तर्गत धारा :–212 आर0टी0ए0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.09.2024	वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। रोही टिलावांली के खसरा संख्या 59/3 की 2.164 हैक्टर बारानी भूमि आराजी राज दर्ज है एवं इसी रोही के खसरा संख्या 59/2 की 5.566 हैक्टर ब0हि0बराबर बारानी भूमि अप्रार्थी संख्या 1–2 के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी का खातेदारी रकबा इसी रोही के खसरा संख्या 60/3, 60/4, 262/60 कुल 2.367 हैक्टर बारानी है। प्रार्थी का रकबा अन्य खसरा का है। प्रकरण में प्रार्थी रकबा के सम्बन्ध में किसी प्रकार से हितबद्ध साबित नही होते है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन साबित नही होता है तथा ना पुरा होने वाला नुकसान भी प्रार्थी को नही है। इसलिये रकबाराज भूमि एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम अंकित खातेदारी रकबा पर दिया गया स्थगन आदेश निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जाकर दिनांक 28.06.2024 को जारी टी0आई0 भी निरस्त किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.09.27 17:35:15 IST
Reason: SelfAttested